न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क0........../2017

II/नि0/सतना/भू0 रा0/2017/1859

चन्दीदीन नामदेव पिता श्री स्व0 श्रीकृष्णनामदेव उम्र 56 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम चनपुरवा तहसील रघुराजनगर सतना जिला सतना म0प्र0..निगराकार/आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0..गैरनिगराकार/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28/11/2016 राजस्व प्रकरण कं0 435/2015–16 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त हाटी तहसील रघु0 जिलासतना म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

श्री .... द्वारा आज दि. 29.5.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक/निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि निगराकार/आवेदक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा चौरा तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0 की अराजी नं0 214/3/2 रकवा 0.168 हे0 , एव अराजी नं0 214/4 रकवा 0.354 हे0 को नक्शा मे तरमीम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार मौके से राजस्व निरीक्षक एव पटवारी के द्वारा बिना मौके की जांच किये निगराकार के सरहद्दी केता के गलत ढंग से प्रलोभित किये जाने के कारण गलत पंचनामा एव गलत प्रतिवेदन निगराकार के विरोधी पक्ष से हस्ता0 करवाकर मौके की स्थिति से भिन्न एंव बिधि मे बने प्रावधानो के अनुसार नक्शा तरमीम करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुये एक अराजी को दो जगह नक्शा मे तरमीम किया गया है तथा मौके से नया विवाद निर्मित किया गया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जारही है।

निगरानी के आधार

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/11/2016 राजस्व प्रकरण कं0 435/2015–16 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त हाटी तहसील रघु0 जिला सतना मं0प्र0 का विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

क्रमशः–2

चन्दीदीन नामदेव

XXiX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/1549

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/05/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्र. 04/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	